प्रेस नोट/सराहनीय कार्य- *(पत्रांक-96/2025 दिनांक 06.04.2025)* *दिनांक-06.04.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

चोरी की घटना का खुलासा, चोरी गये कुल करीब 6,00,000/- रु0 (छ लाख रुपये) तक की पैथोलॉजी उपकरण जिसमें 01 अदद सीबीसी मशीन, 01 अदद एनालाइजर/बायोकेमिस्ट्री मशीन, 01 अदद प्रिंटर, 01 अदद मानीटर की शत प्रतिशत बरामदगी तथा एक शातिर चोर गिरफ्तार-

दिनांक 13.01.2025 को आवेदक अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र रामअवध गुप्ता निवासी बेलवा दुर्गाराय थाना कसया जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कसया पर सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उसके पैथोलाँजी का ताला तोड़कर विभिन्न उपकरणों(सीबीसी मशीन,एनालाइजर मशीन,प्रिंटर एवं मानीटर) को चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना कसया पर मु0अ0सं0 0018/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 06.04.2025 को पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त अभिलाष कुमार सिंह उर्फ पवन पुत्र स्व. सुमेर सिंह निवासी फागुपुर बिशुनपुरा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जें से चोरी गया सामान, जिसमें 01 अदद सीबीसी मशीन, 01 अदद एनालाइजर/बायोकेमिस्ट्री मशीन, 01 अदद प्रिंटर, और 01 अदद मॉनिटर शामिल है, की शत-प्रतिशत बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिंक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा बताया कि वह स्वयं एक पैथोलॉजी लैब संचालित करता था, लेकिन वादी मुकदमा के पैथोलॉजी लैब की वजह से उसके ग्राहक कम हो गए थे। ग्राहक उसके दुकान पर आने के बजाय वादी मुकदमा के पास जा रहे थे, और बगल के अस्पताल के डॉक्टर भी वादी मुकदमा को प्राथमिकता दे रहे थे। इसी प्रतिस्पर्धा और नुकसान के चलते चोरी की Edit with WPS Office घटना को अंजाम दिया ताकि वादी मुकदमा का व्यवसाय प्रभावित हो।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 018/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त

अभिलाष कुमार सिंह उर्फ पवन पुत्र स्व. सुमेर सिंह निवासी फागुपुर बिशुनपुरा थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण :-(कुल कीमत करीब 6,00,000/- रुपये) 01 अदद सीबीसी मशीन, 01 अदद एनालाइजर/बायोकेमिस्ट्री मशीन, 01 अदद प्रिंटर, 01 अदद मानीटर।

बरादमगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर 2-उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर 3-उ0नि0 वरुणेश उपाध्याय कसया जनपद कुशीनगर 4-उ0नि0 आदर्श मिश्र थाना कसया जनपद कुशीनगर 5-हे0का0 राजेश चौबे थाना कसया जनपद कुशीनगर 6-का0 उमाशंकर यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

<u>*थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा गोवध के मुकदमे में वांछित</u> <u>अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार-*</u>

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र से मु0अ0सं0 386/202 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रविन्द शर्मा उर्फ झिन्ने शर्मा पुत्र व्यास शर्मा सािकन बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व जामा तलाशी से 500 रूपये नकद, एक पल्सर मोटर साईकिल वाहन रिज0 नं0 UP52AE3262 बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 114/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2. मु0अ0सं0 386/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3. मु0अ0सं0 281/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रविन्द शर्मा उर्फ झिन्ने शर्मा पुत्र व्यास शर्मा साकिन बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2-पल्सर मोटर साईकिल वाहन रजि0 नं0 UP52AE3262
- 3-जामा तलाशी से 500 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01. उ0नि0 जुगेंश कुमार आनंन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 02. कां0 अनील यादव-2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

<u>*थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा चोरी गये सामान के साथ एक</u> <u>अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-*</u>

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यानन्द शर्मा उर्फ टुनटुन पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी पिपरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर चोरी की दो गैस सिलेंडर HP कम्पनी, एक प्लास्टिक की बोरी मे आटा और एक गैस पाइप व रेगुलेटर की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक Edit with WPS Office

विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0ंसं0 111/2025 धारा 331(4),305(a),317(2),317(5) बी.एन.एस. थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सत्यानन्द शर्मा उर्फ टुनटुन पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी पिपरा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-चोरी की दो गैस सिलेंडर HP कम्पनी,
- 2-एक प्लास्टिक की बोरी मे आटा,
- 3-एक गैस पाइप व रेगुलेटर

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*</u>

- 01. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 02. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 03. कां0 दिनेश पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 04. कां0 रवि कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

<u>*थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आदि के मुकदमे में</u> वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-*

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.04.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त कर्नल राजभर पुत्र स्व0 जगदीश सािकन महुई थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट



कर्नल राजभर पुत्र स्व0 जगदीश साकिन महुई थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 05. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 06. उ0नि0 संजय कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 07. हे0का रमेश चौधरी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 08. कां0 जितेन्द्र सिंह थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.04.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 4180/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार वारण्टी-

नरेश पुत्र बीरबल साकिन कटाईभरपुरवा गुरजहवा टोला थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 प्रेमनरायन सिंह थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3. का0 शैलेश प्रताप चौहान थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 30 नफर अभियुक्तों Edit with WPS Office को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-72 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-85, व्यक्ति-269
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-35)
- *सोशल मीडिया सेल*
- *जनपद कुशीनगर*